उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-40/2025/1088/तीस-3-2025
लखनऊः दिनांकः 15 मई, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या-117(2)/01/मिस/एस-1/2024-25, दिनांक 29.04.2025 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर परिवहन आयुक्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत श्री सियाराम वर्मा, तत्कालीन यात्री/मालकर अधिकारी (ज्येष्ठता क्रमांक-85) सम्प्रति सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को नियमित चयनोपरांत यात्री/मालकर अधिकारी की निर्गत ज्येष्ठता सूची दिनांक 25.09.2003 में उनसे कनिष्ठ श्री राजेन्द्र कुमार सरोज (ज्येष्ठता क्रमांक-86) की सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की पदोन्नति की तिथि 31.12.2008 से श्री सियाराम वर्मा के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की तिथि 21.11.2012 तक सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड वेतन रू0 5400/-) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री सियाराम वर्मा की उक्त नोशनल पदोन्नति, प्रकरण में लंबित याचिका/प्रत्यावेदन/विभागीय कार्यवाही, यदि कोई हो तो, में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी।

3- श्री सियाराम वर्मा द्वारा नोशनल पदोन्नति की अवधि में वास्तविक रूप से पदधारित नहीं किया गया। अतएव श्री वर्मा को नोशनल पदोन्नति की उपर्युक्त अवधि का एरियर/भत्ते दिये जाने का अवसर नहीं पाया गया है।

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-40/2025/1088(1)/तीस-3-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को उप सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या- 117(2)/01/मिस/एस-1/2024-25, दिनांक 29.04.2025 के क्रम में।
4. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ0प्र0, लखनऊ।
5. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. संबंधित अधिकारी।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति/नियुक्ति को उ0प्र0 के सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए मुद्रित राजपत्र की पच्चीस प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नितिन कुमार गुप्त
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in